न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न 101/2020 दिनांक 3.6..2020

सरकार बनाम लीलाराम
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मोहनपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम के महरमपुर राजपूत तहसील कोटपूतली के ख0 न0 497/0.08 है0 किस्म गै0मु0 चाह सरकार के खाता संख्या 1 में दर्ज में से 0.08 है0 भूमि पर श्री लीलाराम पुत्र लालू जाति अहीर निवासी ढाणी शिशावाली महरपुर राजपूत ने पक्का निर्माण चारदिवारी ,बोरिंग टंकी, का निर्माण किया जाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । सूचना बाद गैर सायल जरिये अधिवक्ता उपस्थि आया । जवाव पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है कि गैर सायल को दिये गये नोटिस में उक्त खसरा नंबर की किस्म गै0मु0चाह दर्शाई गई है जबकि जमाबन्दी के अनुसार जमीन की किस्म खारड़ा है व गैर सायल द्वारा बोरिंग व टंकी का निर्माण जनहितार्थ एवं सार्वजनिक पानी पीने के प्याऊ हेतु टंकी का निर्माण करवाया गया था जिसको 15 साल हो चुके हैं। गैर सायल द्वारा उक्त बोरिंग से हमेशा आम रास्ते पर स्थित उपरोक्त सार्वजनिक प्याऊ की टंकी की जल आपूर्ती हेतु करता आ रहा है। गैर सायल द्वारा स्वयं नीजि कार्य वास्ते उपयोग हेतु नहीं किया। वर्तमान में भू–जल स्तर नीचे चले जाने से उक्त बोरिंग में पानी सूख जाने के कारण बंद पड़ी है। पटवारी हल्का ने अवगत करवाया की गैर सायल द्वारा वाके ग्राम महरमपुर राजपूत के खसरा नंबर 497/0.08 पर दिनांक 16.5.2020 को मौके पर निर्माण कार्य किया जाना पाया गया। गैर सायल को उक्त खसरा नंबर पर निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। तथा मौके पर निर्माण कार्य में उपयोग में लिये जाने वाले औजार एक, करनी,एक हथोड़ा एक परात , एक कुश को जप्त किया गया। भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो विवेचन पर पाया की गैर सायलान द्वारा ग्राम महरमपुर राजपूत के खसरा नंबर 497/0.08 किस्म गैर मुमकीन चाह पर अतिक्रमण सिद्व होता है । अतः आतिक्रमि के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल लीलाराम पुत्र लालू जाति अहीर निवासी ढाणी शीशावाली महरपुर राजपूत तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम महरमपुर राजपूत तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 497/0.08 है0 किस्म जमीन गै0मु0 चाह में 0.08 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा किये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त व बोरिंग को बंद किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 3.20रू. का पचास गुणा 160 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। तथा पटवारी हल्का द्वारा जप्त औजारों की निलामी की जाकर राशि राजकोष में जमा करवाने हेतु पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनाक 3.6..2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)